प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में ऑटोमोटिव क्षेत्र में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रशासन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं तथा इसमें 2010-11 से 2012-13 की अवधि शामिल है। जहाँ भी आवश्यक था, परवर्ती या पूर्व की अवधि के मामले को भी शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो 2013-14 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए थे।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप किया गया है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड एवं इनके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहता है।